निजी/प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी

''बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009'' की धारा-12(1)(c) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा-2(n)(iii & iv) में वर्णित विद्यालयों (विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय तथा असहायता प्राप्त/निजी विद्यालय) की प्रथम कक्षा अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होने की दशा में सबसे छोटी कक्षा की कुल सीटों के 25 प्रतिशत की सीमा तक की सीटों पर अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।

<u>प्रवेश प्रक्रियाः-</u>

शासनादेश संख्या-296 दिनांक 07 अप्रैल 2011 के अनुसार विद्यालय हेतु पड़ोस की परिभाषा के अन्तर्गत वार्ड (स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम जैसी भी स्थिति हो के वार्ड) को इकाई समझा जायेगा अर्थात जिस वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी वार्ड के पात्र बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा। यदि उस वार्ड में पात्र बच्चे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उसका क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने सेवित क्षेत्र से सम्बन्धित अपवंचित वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सूचीबद्ध करेंगे। यह सूची वार्डवार तैयार की जायेगी। इसी प्रकार विाशिष्ट श्रेणी एवं निजी विद्यालयों की वार्डवार सूची तैयार की जायेगी।

पात्र बच्चों के माता-पिता अपने वार्ड के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र की एक प्रति सम्बन्धित विद्यालय में तथा दूसरी प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करायेंगे। खण्ड शिक्षा अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर पात्र बच्चों के प्रवेश हेतु सूची सम्बन्धित विद्यालय एवं जिला परियोजना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक) को प्रेषित करेंगे। जिस विद्यालय हेतु पात्र बच्चों की संख्या उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक होगी, वहां समस्त आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रवेश हेतु लाटरी प्रक्रिया अपनायी जायेगी। जिसमें बच्चों के माता-पिता के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक) के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे।

अपवंचित वर्गः-

''अपवंचित वर्ग के बच्चे'' से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), **<u>Manual Scavengers</u>** परिवारों के बच्चे, अनाथ बच्चे, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) अथवा अत्यधिक निःशक्त बच्चे जो कि **<u>National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999</u>** (अधिनियम संख्या 44 वर्ष 1999) के प्राविधानों के अन्तर्गत अर्ह हों, ऐसे बच्चे जो किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित हों और जिनकी वार्षिक आय रू0 80,000/- से कम हो,

एच0आई0वी0ंबच्चे या एच0आई0वी0 ं माता-पिता के बच्चे तथा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1996) अथवा **National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999** (अधिनियम संख्या 44 वर्ष 1999) में यथा परिभाषित विकलांग माता-पिता (कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) जिनकी वार्षिक आय रू0 4.5 लाख से कम हो, के बच्चे अभिप्रेत हैं। परन्तु यह कि अधिनियम की धारा 12 के प्राविधानों के अन्तर्गत अपवंचित समूह के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाएं अनिवार्य रूप से प्रवेशित की जायेंगी;

कमजोर वर्गः-

ऐसे अभिभावकों/माता-पिता जिनकी वार्षिक आय रू0 55000/- या उससे कम है, के बच्चों को कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के समस्त बच्चों में 50 प्रतिशत बालिकाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत बी0पी0एल0 कार्डधारक अभिभावक/माता-पिता के बच्चों को भी कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

अपवंचित समूह तथा कमजोर वर्ग हेतु सक्षम अथवा उपजिलाधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।